

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 28.12.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल - 32 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. दाताराम पुत्र बुद्धराम नि० मल्लाहनपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 531 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रीता पत्नी राजू नि० छाछपारा मतवल्ली थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 328 / 20, 02. दुलारी देवी पत्नी कुदू नि० छाछपारा मतवल्ली थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 329 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना खोडारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बाबूलाल यादव पुत्र रामशंकर यादव नि० कूकनगर ग्रण्ट थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 321 / 20, 02. मानिकराम पुत्र काशीराम नि० नरहरपुर थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-322 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. दहन सोनकर पुत्र रामदास नि० खटिकनपुरवा डुमरियाडीह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 420 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

नाजायज चाकू के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

गोण्डा । सोमवार जनपद गोण्डा के थाना को०नगर पुलिस ने गश्त के दौरान 01-01 अदद नाजायज चाकू के साथ 03 अभियुक्तों – 01. शिवपाल शुक्ला पुत्र राम उजागर नि० हारीपुर थाना को०नगर जनपद गोण्डा,

02. हमजा पुत्र जहीर नि0 पटेल नगर घोसियाना थाना को0नगर जनपद गोण्डा, 03. महेन्द्र सिंह पुत्र राज कुमार सिंह नि0 मो0 बंकी थाना को0नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 1024 / 20, 1025 / 20, 1026 / 20, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । सोमवार जनपद गोण्डा के थाना को0नगर पुलिस ने चोरी करने के आरोपी अभियुक्त संजय दूबे पुत्र रामबेचन दूबे नि0 नकहा बसन्त थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को थाना को0नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 – 1023 / 2020, धारा 379 भादवि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

दिनांक 26.12.2020 को वादी कृष्ण कुमार पाण्डेय पुत्र राजकरन पाण्डेय नि0 विमोर थाना को0नगर जनपद गोण्डा की महिन्द्रा मैक्सिको वाहन संख्या **UP43T3387** अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था । जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना को0नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें को0नगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद महिन्द्रा मैक्सिको वाहन संख्या **UP43T3387** बरामद कर लिया गया । अभियुक्त को थाना को0 नगर में पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।